



गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार
(नैक से "A" ग्रेड प्राप्त एवं यू0जी0सी0 एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)
GURUKULA KANGRI (Deemed to be University), **HARIDWAR**
(NAAC "A" Grade Accredited Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

दिनांक : 25.04.2021

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 324/xxxi(15)G/2020-04(सा0)/2021 दिनांकित 24 अप्रैल 2021 के अनुसार कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के कारण 23-25 अप्रैल 2021 को बन्द रखने के आदेश के विस्तार देते हुये दिनांक 26, 27 एवं 28 अप्रैल 2021 को विश्वविद्यालय में अवकाश रहेगा। उक्त दिनों में होने वाली परीक्षाएँ भी आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है। उक्त दिनों में होने वाली मीटिंग ऑनलाईन माध्यम से की जायेगी। अध्ययन कार्य ऑनलाईन के माध्यम से सम्पादित किये जाते रहेंगे।

सभी शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे तथा अपने मोबाईल स्विच ऑन रखेंगे एवं किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर उनको कार्यालय में बुलाया जा सकेगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि –

1. कुलपति जी, सूचनार्थ
2. समस्त संकायाध्यक्ष
3. कोर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार/देहरादून
4. समस्त विभागाध्यक्ष
5. समस्त कार्यालयाध्यक्ष

कुलसचिव